न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 75/24 GCMS NO 2024/175

श्रीमती मोहर बाई पत्नि मीठया जाति मीना निवासी ग्राम निशाना तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. [illegible]ली पुत्र धनकोरया जाति मीना निवासी निशाना तहसील सपोटरा जिला करौली
2. [illegible]रोशी पुत्री धमण्डी जाति मीना निवासी निशाना तहसील सपोटरा जिला करौली
3. घमण्डी दत्तक पुत्र भोला जाति मीना निवासी निशाना तहसील सपोटरा जिला करौली
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

अपील विरूद्व मु0नं0 50/23 निर्णय दिनांक 27.11.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री गोविन्द चतुर्वेदी

अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुधाकर श[illegible]

दिनांक 04.9.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.11.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान संख्या 1 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ख0न0 127 रकबा 0.3667 है0, 184 रकबा 0.2[illegible] है0, 187/1 रकबा 0.1644 है0, 324 रकबा 0.5564 है0, 326 रकबा 0.0506 है0, 57 रकबा 0.5185 है0, 85 रकबा 0.1770 है0, 86 रकबा 0.0253 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 2.0865 है0 वाके ग्राम निशाना (बाजना) तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित है। उक्त आराजी का सायलान व गैरसायल संख्या 1 ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है और उसी अनुसार काश्त कर फसल का लाभ लेते आ रहे है। लेकिन गैरसायल संख्या 1 जो कि सायल संख्या 2 के पिता है द्वारा दिनांक 5.7.23 को गैरसायल संख्या 2 के पक्ष मे बयनामा कर दिया गया। जबकि सायलान व गैरसायल के मध्य किसी प्रकार का विधिवत बंटवारा नही हुआ। गैरसायल संख्या 2 अजनबी व्यक्ति है इसलिए सायलान के कब्जे काश्त मे दखल अंदाजी कर रहा है। गैरसायल न0 2 ने बिना विधिक बंटवारे के ही उक्त आराजीयात को कय किया है जो कानूनन गलत है एवं विधि विरूद्व है। सा[illegible] सं[illegible] 2 गैरसायल संख्या 1 घमण्डी की जायज संतान है तथा घमण्डी की दो शादी हुई जिसकी पहली पत्नि का नाम भरौसी था जिसकी एक मात्र मुझ सायला पुत्री है तथा मेरी मां भरोसी फौत हो चुकी है। गैरसायल संख्या 1 ने दूसरी शादी कर ली है जिसकी अलग संतान है। इसलिए गैरसायल संख्या 1 मुझ सायला को मानता नही है ना ही किसी प्रकार से मुझे चाहता है ना ही मुझ सायला न0 2 को गैरसायल संख्या 1 भात जमाने वगै0

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

देता है। उक्त आराजीयात गैरसायल संख्या 1 को वसीयत से विरासत मे मिली हुई है जो पुश्तैनी है। मुझ सायला का हिस्सा गैरसायल संख्या 1 के हिस्से मे 1/2 है तथा गैरसायल संख्या 1 ने उक्त आराजीयात को चोरी छुपके से गैरसायल स0 2 के पक्ष मे बयनामा करा दिया है जो कानून के विरूद्व है। मुझ सायलान ने दिनांक 19.7.23 को जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो राजस्व अभिलेख मे गैरसायलान संख्या 2 का नाम अंकन पाया गया तब मुझ सायलान को मालुम चला। इसलिए मुझ सायलान बाहमी बंटवारा अनुसार एवं गैरसायलान को रहन बय करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द तथा उक्त बयनामा को शून्य एवं अकृत्य एवं प्रभावहीन कराये जाने के अधिकारी है। गैरसायल संख्या 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है। मुझ सायल संख्या 2 के हक हकूक अधिकारो को समाप्त करने पर आमादा है तथा मेरी पुश्तैनी आराजीयात को खाने पर आमादा है। इसलिए अस्थाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सायलान व गैरसायलान संख्या 1 की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ख0नं0 127 रकबा 0.3667 है0, 184 रकबा 0.2276 है0, 187/1 रकबा 0.1644 है0, 324 रकबा 0.5564 है0, 326 रकबा 0.0506 है0, 57 रकबा 0.5185 है0, 85 रकबा 0.1770 है0, 86 रकबा 0.0253 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 2.0865 है0 वाके ग्राम निशाना (बाजना) तहसील सपोटरा जिला करौली मे गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबछ किया जावे कि सायलान के कब्जे. काश्त मे दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही दीगर व्यक्ति से करावे तथा रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गैरसायला संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस अपील पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो अभिवचनो व दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मनमाने तरीके से कतइ आर्वेटरी परवर्स के प्रियसली फाईण्डिग के आधार पर विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का ना कोई प्राईमाफेसी केस साबित है ना ही उन्हे किसी प्रकार की असुविधा एवं अपूर्णनीय क्षति ही है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सायलान निर्धारित करते समय तीनो बिन्दुओ को नजर अंदाज करते हुए कतई कयासी आधारो पर निर्णय जैर अपील पारित करने मे विधि की गंभीर त्रुटि की है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 2 रमेशी जो इस प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है उसके पिता धमण्डी के जिवित होते हुए घमण्डी की निजी सम्पति यानी विवादित आराजीयात जो उसे जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 8.1.69 को साबिक खातेदार भोला पुत्र हरबक्श मीना से उसे प्राप्त हुई थी जो भूमि घमण्डी की पैतृक ना होकर निजी थी जिसे उसने वहैसियत खातेदार काश्तकार साधिकार कानूनन रूप से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 5.7.23 को अपीलांट को विकय की जाकर उसे कब्जा कराया गया था जिस आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट वहैसियत खातेदार काश्तकार योम खरीद तिथी 5.7.23 से काबिज चली आ रही है और वर्तमान मे काश्त कर फसल का लाभ प्राप्त करती चली आ रही है वर्तमान मे मौके पर काबिज है। उसके द्वारा बोई गई फसल सरसब्ज खडी है। उक्त तथ्यो को नजर अंदाज कर जैर निर्णय विधि विरूद्व पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनरथ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के मद न0 3 मे स्पष्ट अभिवचन उन्होने दर्ज कर बताया है कि हम सायलान व गैरसायलान संख्या 1 ने उक्त आराजीयात का मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है और बाहमी बंटवारा अनुसार फसल काश्त कर लाभ लेते चले आ रहे है और उसी अनुसार कब्जा काश्त है जो सायलान का स्वीकृत तथ्य है जब बाहमी बंटवारा होना स्वीकार है तो मात्र यह दर्ज करना कि विधिवत बंटवारा नही हुआ है कोई मायने नही रखता है फिर भी विधिक बंटवारा ना होने के आधार पर गैरसायल संख्या 2क I काश्त मे व्यवधान मानने मे गंभीर त्रुटि की है। इसलिए निर्णय निरस्त योग्य है। प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष मे मानने मे अधिनरथ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। इसलिए निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनरथ न्यायालय ने सुविधा का संतुलन रेस्पो0 के हक मे तय करने मे गंभीर त्रुटि की है वगैर बंटवारा कराये कोई सहखातेदार अपने हिस्से को बयनामा कराने को कानूनन स्वतंत्र है तथा बयनामा के आधार पर उसे नामा0 तस्दीक कराकर राजस्व रिकार्ड के ... के अपने नाम कराने का विधिक अधिकार होते हुए भी टी आई अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पाबंद करने मे विधि की भूल की है। इसलिए निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरणं प्रकिया फिजीकल प्रोसिडिग है जिससे कोई खातेदारी अधिकार रेस्पो0 सायलान के प्रभावित नही होते है फिर भी नामा0 तस्दीक किये जाने पर टी आई जारी कर रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे जाने के आदेश कतई गनमाने तरीके से विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो की अवहेलना करते हुए पारित करने मे गंभीर त्रुटि की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि विवादित आराजीयात सायल संख्या 1 व गैरसायल संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2078 से 2081 से बखूबी सावित है। जिसका विधिवत बंटवारा हुए ही गैरसायल संख्या 1 द्वारा दिनांक 5. 7.23 को गैरसायल संख्या 2 के पक्ष मे बयनामा किया गया है जो विधि विरूद्व है। क्योकि जब तक बंटवारा नही होता जब तक संयुक्त खातेदारी की आराजीयात पर प्रत्येक इंच के भू भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का हक एवं अधिकार होता है। इस प्रकार उक्त बयनामा विधि विरूद्व किया गया है। विवादित आराजीयात स्वअर्जित नही होकर पैतृक आराजी है। पैतृक आराजी को बिना बंटवारा कराये किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन बेचान करने का किसी भी संयुक्त खातेदार को अधिकार नही होता है। गैरसायल संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्व रूप से गैरसायल संख्या 2 के पक्ष मे बयनामा किया गया है। जिससे सायला के हक एव अधिकार वंचित होते है एवं अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। उक्त आराजीयात बिना विधिक बंटवारे के अंन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन बेचान नही हो इसलिए ही अधिनरथ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया है जिसमे प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ को सायला/रेस्पो0 के पक्ष मे सावित माना है। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात खसरा न0 127 रकबा 0.3667 है0, 184 रकबा 0.2276 है0, 187/1 रकबा 0.1644 है0, 324 रकबा 0.5564 है0, 326 रकबा 0.0506 है0, 57 रकबा 0.5185 है0, 85 रकबा 0.1770 है0, 86 रकबा 0.0253 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 2.0865 है0 वाके ग्राम निशाना (बाजना) तहसील सपोटरा जिला करौली सायल संख्या 1 एवं गैरसायल संख्या 2 की सहखातेदारी की आराजीयात है जो पैतृक सम्पति है। जिसका विधिवत बंटवारा नही हुआ है जो जमाबंदी सम्वत 2078 से 2081 के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही होने के तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया है। कानूनन किसी आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही होने तक प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर हक एवं अधिकार प्रत्येक सहखातेदार का निहित होता है। गैरसायल संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्व तरीके से बिना विधिवत बंटवारा कराये ही भूमि को गैरसायल संख्या 2 को बयनामा किया गया है। उक्त बयनामे के आधार पर गैरसायल संख्या 2 सायला के कब्जे काश्त मे व्यवधान करने के कारण ही सायला द्वारा टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत अधिनस्थ न्यायालय मे दावा बंटवारा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। चूकि विवादित आराजीयात सहखातेदारी की आराजीयात है। सहखातेदारी की आराजीयात को बिना विधिवत बंटवारा कराये किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान किया जाता है तो निश्चित रूप से अन्य सहखातेदार को अपूर्णनीय क्षति होती है तथा आराजीयात मे व्यवधान उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जिससे वाद वाहुलता बढने की अत्यधिक संभावना रहती है। विवादित आराजीयात के हक एवं अधिकारो का निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन दावे मे साक्ष्य के उपरान्त तय हो सकेगे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात में सायलान के कब्जे काश्त मे दखलअंदाजी नही करने हेतु अपीलांट/गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर विवादित आराजीयात की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश विधिवत रूप से पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने एवं उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 50/23 मे पारित निर्णय दिनांक 27.11.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.9.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner